ग्वालियर जल प्रदाय योजना के सुधार हेतु ऋण देना

1802. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने ग्वालियर जल प्रदाय योजना के सुधारहेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार को कितना ऋण और अनुदान देना स्वीकार किया है ; और

(ख) उक्त योजना के क्रियान्वयन पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय होगी और इन पर कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख). जल सप्लाई राज्य क्षेत्र का एक कार्यक्रम है । जल-सप्लाई की योजनाओं के बनाने का और निष्पादन करने का तथा ऐसी योजनाओं के लिये प्राथमिकता तथा परिव्यय निर्धारित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों को विभिन्न राज्य प्लान-योजनाओं के लिये, जिस में जल सप्लाई की मद भी शामिल है, केन्द्रीय सहायता किसी योजना विशेष से सम्बद्ध किए बिना खण्ड ऋणों और खण्ड अनुदानों के रूप में दी जा रही है ।

मध्य प्रदेश सरकार ने नगर की जल सप्लाई के सुधार के लिये 1.19 करोड़ रुपये की लागत से ग्वालियर जल सप्लाई योजना (भाग 1) बनाई है । स्कीम पांचवी योजना के दौरान पूरी किये जाने की सम्भावना है ।

Raising of limit of housing loan to Government employees

1803. SHRI ARVIND PATEL:
SHRI M. C. DAGA:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government have recently taken a revised decision regarding limit in Government housing loans to their employees; and

(b) if so, main features of the decision taken by the Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA): (a) Yes.

(b) Previously a Government servant was entitled to a house building advance equal to sixty times his monthly pay or Rs. 50,000 whichever was less. Inview of the general rise in the cost of building materials, orders have been issued on 19th January, 1973 to the effect that a Government servant is now entitled to a house building advance equal to seventy-five times his monthly pay or Rs. 70,000 whichever is less.

राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाने के लिए अन्तर्राज्यीय पुल का निर्माण

1804. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए सवाई माधोपुर और श्योपुर के बीच निर्मित होने वाले अन्तर्राज्यीय पुल, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने ऋण दिया है, के पूरा होने की तिथि के सम्बध में सूचित किया है ;